प्रेसनोट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

हत्या में वांछित रू0 50,000/– के इनामी अभियुक्त को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रान्च टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल व अन्य सामान बरामद....

घटना का विवरण :–

दिनांक 13.04.2021 को तिरंगा अपार्टमेंट फ्रीगंज थाना हरीपर्वत जनपद आगरा क्षेत्र में किशन गोपाल अग्रवाल उम्र करीब 67 वर्ष की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिसमें पुलिस टीम द्वारा पूर्व में 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार क्षेत्र में चोरी/लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर श्री बोत्रे रोहन प्रमोद के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हरीपर्वत जनपद आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम गश्त करते हुए आर0बी0एस0 चौराहे पहुंची, इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना हरीपर्वत में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2021 धारा 396/412 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित रू0 50,000/– इनामी अभियुक्त विजय उर्फ करू आज सिकन्दरा रेलवे लाइन रोड की ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा है एवं साथियों सहित किसी घटना को अंजाम देने की सम्भावना है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :–

इस सूचना पर पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंची एवं बैरियर लगा कर योजना बनाकर दो टीम बनाते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग प्रारम्भ की गयी । कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति सिकन्दरा रेलवे लाइन की ओर से आ रहा है। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार सकपका गया और मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण को चारों ओर घेरते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम ने अपने आप का बचाव करते हुए फायर किया गया जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी और घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पिस्टल नाजायज मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, रू0 27,200/–, 04 चूड़ियां पीली धातु, 01 अदद अंगूठी पीली धातु, 01 मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स बिना नम्बर प्लेट बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर मु0अ0सं0 242/21 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0

243/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 244/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि पंजीकृत किया गया। घायल अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा द्वारा अभियुक्त विजय उर्फ करू उपरोक्त पर पूर्व में रू0 50,000/– का इनाम घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण :–

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरा नाम विजय उर्फ करू है। गिरफ्तार अभियुक्त से सख्ती व गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने **दिनांक 13.04.2021 को तिरंगा अपार्टमेंट फ्रीगंज थाना हरीपर्वत जनपद आगरा क्षेत्र में किशन गोपाल अग्रवाल उम्र करीब 67 वर्ष** की हत्या करने से कुछ दिन पंकज व अवधेश से बात की थी और बताया कि आगरा में एक बूढ़ा व्यक्ति जो की शादी करने के लिए इच्छुक है, जिसे अभियुक्त सचिन अपने दोस्त यज्ञपाल उर्फ करूआ पुत्र कमलेश यादव निवासी ढेहकी बडेरा थाना कोतवाली जनपद एटा की महिला मित्र नीलम दिखाकर लूट कर अच्छे रूपये मिल जाएंगे। इस संबंध में मेंने अपने साथी अवधेश, सचिन आदि सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई और बनाई गई योजना के अनुसार दिनांक 12.04. 2021 को हम 06 लोग उपरोक्त घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे।

गिरफ्तारी विवरण :–

दिनांक 24.04.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.04.2021 को हुई घटना का अनावरण करते हुये एक अभियुक्ता व एक अभियुक्त (नीलम यादव पत्नी राकेश यादव निवासी ग्राम रसेनी थाना एका जनपद फिरोजाबाद व यज्ञपाल उर्फ करूआ पुत्र कमलेश यादव निवासी ढैकी बडेरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा पूर्व में अभियुक्त सचिन उपरोक्त पर रू0 25,000/–का इनाम घोषित किया गया था, जिसको थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करने के उपरान्त दिनांक 13.05.2021 को आईएसबीटी बस स्टेण्ड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दिनांक 15.05.2021 को वांछित रू0 25,000/–ईनामी अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र रामअवतार उर्फ पप्पू नि0 ढेहरी बडेरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 16.04.2021 को रू0 25,000/– के इनामी पंकज पुत्र जगदीश नि0 हिम्मतपुर थाना कोतवाली देहता जनपद एटा को पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

आज दिनांक 28.06.2021 को रू0 50,000/– के इनामी अभियुक्त विजय उर्फ करू नि0 महाराजपुर झाल गोपालपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

01. विजय उर्फ करू पुत्र नरेशचन्द्र नि0 ग्राम गोपालपुर महाराजपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अदद पिस्टल नाजायज मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस।
02. रू0 27,200/–
03. 04 चूड़ियां पीली धातु।
04. 01 अदद अंगूठी पीली धातु।
05. 01 मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स बिना नम्बर प्लेट चोरी की।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 149/21 धारा 396/412 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 184/21 धारा 307 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 186/21 धारा 41/102 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 414 भादवि हरीपर्वत आगरा
04. मु0अ0सं0 85/2014 धारा 395/323/506/342 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर एटा।
05. मु0अ0सं0 39/2014 धारा 307 भा0द0वि0 (पु0म0) थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
06. मु0अ0स0 238/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
07. मु0अ0सं0 232/2015 धारा 307/504 भा0द0वि थाना एका जनपद फिरोजाबाद।
08. मु0अ0सं0 237/2016 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना एका जनपद फिरोजाबाद।
09. मु0अ0सं0 469/2016 धारा 41/120 द0प्र0सं0 व 411भादवि थाना कोतवाली नगर एटा।
10. मु0अ0सं0 982/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
11. मु0अ0सं0 634/2016 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
12. मु0अ0सं0 693/2016 धारा 307 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
13. मु0अ0सं0 694/2016 धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर एटा।
14. मु0अ0सं0 695/2016 धारा 41/120 द0प्र0सं0 व 411 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा।
15. मु0अ0सं0 259/2017 धारा 392 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
16. मु0अ0सं0 870/2017 धारा 457/380 थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
17. मु0अ0सं0 488/2017 धारा 457/380 थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
18. मु0अ0सं0 405/2017 धारा 307/504 भा0द0वि0 थाना पिलुआ जनपद एटा।
19. मु0अ0सं0 407/2017 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411 भा0द0वि0 थाना पिलुआ एटा।
20. मु0अ0सं0 134/2017 धारा 401/411/413/414 भा0द0वि0 थाना एका फिरोजाबाद।
21. मु0अ0सं0 191/2017 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

22. मु0अ0सं0 393/2017 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

23. मु0अ0सं0176/2018धारा147/148/149/307/323/504/506भादविएका फिरोजाबाद।

24. मु0अ0सं0 266/2018 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

25. मु0अ0स0 864/19 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

26. मु0अ0स0 537/19 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

27. मु0अ0स0 91/19 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा।

28. मु0अ0स0 89/19 3 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली नगर एटा।

29. मु0अ0स0 78/19 धारा 342/380 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा।

30. मु0अ0स0 575/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली देहात एटा।

31. मु0अ0सं0 242/21 धारा 307 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

32. मु0अ0सं0 243/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

33. मु0अ0सं0 244/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना हरीपर्वत आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

02. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद आगरा।

03. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कौशल थाना सदर जनपद आगरा।

04. उ0नि0 कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा।

05. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

06. उ0नि0 अजय कुमार प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद आगरा।

07. उ0नि0 राजकुमार बालियान थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

08. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

09. उ0नि0 राजीव कुमार थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

10. उ0नि0 निशामक थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

11. हे0कां0 आदेश त्रिपाठी, हे0कां0 अरूण कुमार, हे0कां0 प्रशान्त कुमार, हे0कां0 दीपक कुमार, हे0कां0 करनवीर सिंह, कां0 राजकुमार, कां0 अजीत कुमार सर्विलांस टीम आगरा।

12. है0का0 अरविन्द कुमार, का0 कमल सिंह, का0 हरिओम, का0 प्रणवीर, का0 विकास मिश्रा थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

13. का0 भूरा सिंह थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

<u>मीडिया सेल जनपद आगरा।</u>